सुधारीत नियमावली

... copy was applied for on. 2/1/2020
... copy was ready for delivery on 8/1/2020
... copy was delivered and
... endorsement was made on 9/1/2020

संविधान

मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन

1 – नाम

इस संघ का नाम सर्व सेवा संघ होगा ।

2 – कार्यालय

संघ का कार्यालय, वर्धा या समय-समय पर संघ जहां तय करे, वहां रहेगा ।

3 – उद्देश्य

सर्व सेवा संघ का उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें जीवन मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से अनुप्राणित हों, जो शोषण, दमन, अनीति और अन्याय से मुक्त हो, तथा जिसमें मानव-व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए पर्याप्त अवसर हो ।

Superintendent
Public Trust Registration Office
WARDHA

इस उद्देश्य की सिध्दि की दृष्टि से संघ राज्य-सत्ता की प्राप्ति के लिए होनेवाली प्रतिव्दंव्दिता से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा । वह ऐसे लोकतंत्र के विकास तथा स्थापना के लिए प्रयत्नशील होगा जिसका आधार दलीय राजनीति नहीं, बल्कि शासन-निरपेक्ष लोकनीति होगी । वह समाज में जाति, पंथ, सम्प्रदाय, वर्ण, वर्ग, लिंग, रंग, भाषा तथा देश आदि के कारण उत्पन्न होनेवाले भेदभाव का नहीं स्वीकार करेगा । उसका प्रयत्न होगा कि एक ऐसी जीवन-पध्दति का विकास हो जिसमें मानव-मानव के बीच निरंतर समता और साझेदारी बढे, वर्गों का निराकरण हो, पूंजी और श्रम का विरोध मिटे, तथा विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत खादी, ग्रामोद्योग, खेती और पशुपालन जीविका के मुख्य साधन बनें ।

संघ अपने कार्यक्रमों व्दारा शांति, प्रेम, मैत्री, करुणा और न्याय की उदात्त भावनाओं को जागृत करेगा, तथा वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करेगा । अहिंसा की मर्यादाओं का पालन करते हुए संघ लोकशक्ति का निर्माण करेगा, तथा सम्पूर्ण क्रांति के व्दारा सर्वोदय की सिध्दि के लिए रचनात्मक कार्यक्रम और आवश्यकतानुसार सत्याग्रह के उपायों का प्रयोग करेगा ।

4 – सर्व सेवा संघ के कार्य (फंक्शन)

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्व सेवा संघ के नीचे लिखे मुख्य कार्य होंगे :

1) समाज के नव-निर्माण के कार्यक्रम और आंदोलन में लगे हुए सेवकों तथा संस्थाओं को समय-समय पर परस्पर सम्पर्क और विचार विनिमय के लिए अवसर प्रदान करना

2) अनुभव के आधार पर आगे के कार्यक्रम की दिशा स्थिर करना तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार, विशेष रूप से अन्त्योदय की दृष्टि से, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करना

3) काम के क्रम में पैदा होनेवाली कठिनाईयों और समस्याओं का पारस्परिक विचार-विनिमय और अनुभवों के आदान-प्रदान व्दारा हल ढूंढना

4) अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग, प्रशिक्षण, प्रकाशन निर्माण, प्रतिकार और सत्याग्रह, आदि जो भी काम आवश्यक हों उन्हें करना ।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ समय-समय पर उपयुक्त कार्यक्रम तय करेगा, तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए धन संग्रह करना, खर्च करना, कर्ज और दान लेना या देना, स्थावर-जंगम जायदाद रखना, बेचना, केन्द्र कायम करना, शाखाएं चलाना, तथा जो भी अन्य कार्य करना आवश्यक हो, उन सबको करेगा ।

सर्व सेवा संघ की नियमावली

1§ लोकसेवक

18 साल या उससे अधिक आयु का हर व्यक्ति, जो लोकसेवक की निष्ठाओं को मान्य करके सदस्यता-पत्र पर हस्ताक्षर करता है, लोकसेवक बन सकेगा, बशर्ते सदस्यता के लिए उसे ऐसे दो लोकसेवकों का अनुमोदन प्राप्त हो, जो कम-से-कम दो वर्ष से लोकसेवक हों §लोकसेवक का निष्ठा-पत्र नियमावली के अन्त में दिया गया है § ।

2§ सर्वोदय मित्र

कोई भी व्यक्ति, जो सत्य-अहिंसा के बुनियादी मूल्यों को मानता हो, तथा सर्व सेवा संघ के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना रखता हो, सर्वोदय-मित्र बन सकता है । अपनी भावना के प्रतीक के रूप में वह जिला सर्वोदय मंडल, या यदि जिले में सर्वोदय मण्डल न हो तो प्रदेश सर्वोदय मण्डल या सर्व सेवा संघ को वर्ष में एक रुपया देगा । सर्वोदय मित्र का सदस्यता-पत्र कार्यसमिति समय-समय पर तय करेगी ।

3§ सर्वोदय मण्डल

अ§ प्राथमिक सर्वोदय मण्डल

किसी एक क्षेत्र में काम करनेवाले कम-से-कम 5 लोकसेवकों की संगठित इकाई "प्राथमिक सर्वोदय मण्डल" कहलायेगी । हर गांव में लोकसेवक हों, और उनका प्राथमिक सर्वोदय मण्डल हो यह हमारा लक्ष्य होगा । प्राथमिक सर्वोदय मण्डल अपनी बैठकों में अपने क्षेत्र के सर्वोदय मित्रों को आमंत्रित करें, तथा कार्यक्रमों में उनका सहयोग प्राप्त करें, यह अपेक्षित होगा ।

प्राथमिक सर्वोदय मण्डल अपना एक संयोजक, अथवा अध्यक्ष और मंत्री मनोनीत करेगा । उनको उस मण्डल के लोकसेवक अपने में से सर्वसम्मति या सर्वानुमति से मनोनीत करेंगे ।

आ§ जिला सर्वोदय मण्डल

यदि एक जिले में कम-से-कम पांच प्राथमिक सर्वोदय मण्डल हों, तो उनके संयोजकों या अध्यक्षों को लेकर "जिला सर्वोदय मण्डल" गठित किया जा सकेगा । यदि प्राथमिक सर्वोदय-मण्डल न बने हों, किंतु जिले भर में लोकसेवकों की संख्या कम-से-कम 25 हो तो वे मिलकर जिला सर्वोदय मण्डल का गठन कर सकेंगे । अथवा जिस जिले में 10 लोकसेवक और कम-से-कम 15 सर्वोदय मित्र बने हों, वहां जिला सर्वोदय मण्डल का गठन किया जा सकता है, लेकिन हरहालत में मण्डल का पदाधिकारी लोकसेवकों में से ही होगा । इस प्रकार मण्डल गठित हो जाने पर ही सर्व सेवा संघ में उस जिले को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा ।

10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के महानगरों में, जिला सर्वोदय-मण्डल के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार नगर सर्वोदय मण्डल गठित किये जा सकेंगे, जिन्हें जिला सर्वोदय मण्डल का स्तर प्राप्त होगा ।

जिला सर्वोदय मण्डल अथवा नगर सर्वोदय मण्डल आवश्यकतानुसार अपने लोकसेवकों में से सदस्य "कोऑप्ट" कर सकेगा, किंतु उनकी संख्या मूल सदस्यों की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी ।

Commissioner
सत्यमेव जयते
Region. WARDHA

इ॥ प्रदेश-सर्वोदय मण्डल

जिला सर्वोदय मण्डल के संयोजक अथवा अध्यक्ष, तथा प्रति जिले के एक प्रतिनिधि को मिलाकर हर राज्य में एक "प्रदेश सर्वोदय मण्डल" होगा । प्रदेश सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि प्रदेश के लोकसेवकों में से अपने मण्डल के लिए सदस्य मनोनीत कर सके, किन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या मण्डल के मूल सदस्यों की संख्या की एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी ।

प्राथमिक-सर्वोदय-मण्डल, जिला-सर्वोदय -मण्डल, नगर-सर्वोदय मण्डल तथा प्रदेश सर्वोदय-मण्डल सर्व-सेवा-संघ की समय-समय पर निर्धारित नीति-रीति के अन्तर्गत अपनी सामान्य कार्य-पद्दति तथा नियमावली तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

4॥ सर्व-सेवा-संघ

॥क॥ सदस्यता : सर्व सेवा संघ के सदस्य निम्नलिखित लोकसेवक होंगे :

i॥ हर जिला सर्वोदय मण्डल के दो प्रतिनिधि होंगे । उनमें एक संयोजक अथवा अध्यक्ष होगा, तथा दूसरा जो जिले के समस्त लोकसेवकों की सम्मिलित सभा में उपस्थित लोकसेवकों की सर्वसम्मति या सर्वानुमति से चुना जायेगा । किन्तु यदि जिले में लोकसेवकों की संख्या एक सौ या इससे अधिक होगी तो उस जिले से सामान्य से एक अधिक प्रतिनिधि उपर्युक्त प्रकार से चुना जायेगा । इस प्रकार सर्व सेवा संघ में उस जिले के प्रतिनिधियों की संख्या दो की जगह तीन हो जायेगी ।

ii॥ संघ-अध्यक्ष द्वारा लोकसेवकों में से मनोनीत, लेकिन उनकी संख्या ऊपर i॥ में उल्लिखित सदस्यों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

॥ख॥ लोकसेवक और संघ की बैठकें

हर लोकसेवक को अधिकार होगा कि वह संघ की बैठकों में शरीक हो सके और चर्चा में भाग ले सके, किन्तु निर्णय में वे ही लोकसेवक भाग ले सकेंगे, जो उपर्युक्त 4 क ॥i॥ और ॥ii॥ के अनुसार संघ के सदस्य होंगे ।

5॥ कार्यकाल

संघ के निर्वाचित या मनोनीत, दोनों प्रकार के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा । यही अवधि सभी सर्वोदय मण्डलों तथा संघ की समितियों की भी होगी ।

6॥ समितियाँ-उपसमितियाँ

अपने काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए संघ और कार्यसमिति, दोनों का अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार वे स्थायी या अस्थायी समितियाँ या उपसमितियाँ बना सकें ।

7॥ संघ की बैठक

आवश्यक होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुमति से मंत्री संघ की बैठक बुला सकेंगे किन्तु 6 महीने में एक बार बैठक बुलाना अनिवार्य होगा ।

8§ कोरम

संघ की सभा का कोरम 100 सदस्यों का, या कुल सदस्य-संख्या का 1/8 दोनों में जो कम हो-होगा । कार्यसमिति का कोरम उसकी कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों का, किन्तु 10 से कम का नहीं, होगा । ट्रस्टी मण्डल का कोरम कम से कम तीन सदस्यों का होगा ।

9§ निर्णय

संघ कार्यसमिति तथा समितियों-उपसमितियों आदि के निर्णय सामान्यतः उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति या सर्वानुमति से किये जायेंगे । यदि अधिकांश सदस्यों की अनुकूल सम्मति हो और 20 प्रतिशत से अधिक का प्रकट विरोध न हो, तो सर्वानुमति §नियर युनैनिमिटी § मानी जायेगी ।

10§ संघ के अध्यक्ष और कार्यसमिति

अ§ संघ के सदस्य संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

आ§ संघ व्दारा निर्धारित रीति-नीति के अनुसार संघ का काम चलाने के लिए एक कार्यसमिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

i§ अध्यक्ष व्दारा मनोनीत अधिक-से-अधिक 15 सदस्य
ii§ प्रदेश-सर्वोदय मंडलों के अध्यक्ष §पदेन§
iii§ संघ के प्रबंधक ट्रस्टी ।

इ§ संघ के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कार्य-समिति के सदस्यों में से मंत्री, सह-मंत्री, आदि, एक या अधिक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगे ।

11§ संघ-अध्यक्ष के स्थान का रिक्त होना

कार्यकाल के अन्तर्गत यदि संघ अध्यक्ष का स्थान किसी कारण से रिक्त होता है तो कार्यसमिति कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगी, किन्तु स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन संघ के अगले अधिवेशन में हो जाना अनिवार्य होगा ।

12§ ट्रस्टी मण्डल

अ§ संघ की चल-अचल सम्पत्ति ट्रस्टी मण्डल में निहित §वेस्ट§ होगी, उसका निर्वाचन कार्यसमिति व्दारा होगा । सब ट्रस्टी लोकसेवक होंगे, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा । किंतु हर दो वर्ष पर बारी-बारी से दो स्थान रिक्त होते जायेंगे । जब जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति कार्यसमिति करेगी । कार्यसमिति ही प्रबन्धक ट्रस्टी नियुक्त करेगी ।

आ§ ट्रस्टियों की संख्या पदेन सदस्यों को मिलाकर, कम से कम 5 और 9 से अधिक नहीं होगी ।

इ§ संघ के अध्यक्ष और महामंत्री ट्रस्टी मण्डल के पदेन सदस्य होंगे ।

ई§ कानूनी कामों के लिए ट्रस्टी संघ के प्रतिनिधि होंगे । संघ की ओर से, या संघ के विरुध्द होनेवाली हर तरह की कानूनी कार्रवाई प्रबंधक ट्रस्टी के नाम से होगी ।

उ§ ट्रस्टी संघ के दस्तावेज वगैरह पर संघ के नाम में हस्ताक्षर करेंगे, संघ की चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल करेंगे, हिसाब रखेंगे, हिसाबों की जांच करेंगे या करायेंगे, तथा संघ या कार्यसमिति व्दारा समय-समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार संघ की संपत्ति का उपयोग खरीद-बिक्री, या हस्तान्तरण आदि करेंगे ।

ऊ) बैंक में खाता खोलने, चेक आदि पर हस्ताक्षर करने अथवा अन्य किसी दस्तावेज पर ट्रस्टी मण्डल को हस्ताक्षर करना हो तो ट्रस्टी मण्डल अपने प्रस्ताव व्दारा किसी एक या अधिक व्यक्तियों को, चाहे वह व्यक्ति ट्रस्टी मण्डल का सदस्य हो या न हो, संयुक्त या पृथक रूप से उपर्युक्त हस्ताक्षर करने का अधिकार दे सकता है । ट्रस्टी मण्डल के सभी सदस्यों का किसी कागज पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं होगा ।

ए) अपने काम का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए संघ की नीति और संविधान के अविरोधी आवश्यक नियम-उपनियम बनाने का अधिकार ट्रस्टी मण्डल को होगा ।

ऐ) इन हिदायतों की मर्यादा में रहते हुए संघ के धन तथा कोष को ट्रस्टी जिस प्रकार उचित समझेंगे लगा सकेंगे, यानी "इनवेस्ट" कर सकेंगे । किसी अचल सम्पत्ति की विक्री या हस्तान्तरण कार्यसमिति के निर्णय से ही हो सकेगा । इन व्यवहारो में इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट की मर्यादाएँ बाधक नहीं मानी जायेगी ।

13) उपनियम

संघ के कामों के समुचित संचालन के लिए इस संविधान तथा नियमावली के अविरोध उपनियम बनाने का अधिकार कार्य-समिति का होगा ।

14) कार्यवाही नाजायज नहीं होगी

समय पर कोई चुनाव न हो सका या किसी रिक्त स्थान की पूर्ति न की जा सकी हो, तो इस कारण से संघ कार्यसमिति, या उसकी किसी समिति, उपसमिति, आदि किसीकी कोई कार्यवाही नाजायज नहीं समझी जायगी ।

15) संविधान और नियमों में परिवर्तन

यदि संघ के संविधान और नियमों में कोई संशोधन या परिवर्तन करना हो तो उसकी पूर्वसूचना देकर बुलायी गयी सर्व सेवा संघ की लगातार दो सभाओं में उसका पास होना आवश्यक होगा । निर्णय का आधार वही होगा जो ऊपर 9 में बताया गया है ।

16) संस्था विसर्जन

" यदि सर्व सेवा संघ को किसी कारणवश विसर्जित करने की परिस्थिति पैदा हो तो उसका प्रस्ताव संस्था की कार्यसमिति तथा संघ के लगातार दो अधिवेशनों में नियमानुसार मंजूर कराकर, संस्था का अपना लेन-देन पूरा करने के बाद, बची चल-अचल सम्पत्ति, किसी समानधर्मी संस्था या संस्थाओं को कार्यसमिति तथा संघ-अधिवेशन में मंजूर कराकर, हस्तांतरित की जायगी, और 1860 के संस्था नोंदनी अधिनियम (सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) की धारा 13 और 14 के अनुसार विसर्जन की कार्यवाही की जायगी ।"

Certified to be true copy

मंत्री,
सर्व सेवा संघ,

Superintendent,
Public Trust Registration Office
WARDHA.